

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612-2219116(का०)

फैक्स नं०-0612-2218900

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, द्वारा 40.00 लाख पत्रांक-89(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 22.08.2016 द्वारा 500.00 लाख पत्रांक-103(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 द्वारा 1500.00 लाख पत्रांक-42/आ0प्र0, दिनांक 10.09.2016 द्वारा 800.00 लाख एवं पत्रांक-124/आ0प्र0, दिनांक 19.09.2016 द्वारा 500.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत-उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड-एन2245021010001 मद में कुल-3340.00 लाख (तीन हजार तीन सौ चालीस लाख) का प्राप्त आवंटन इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-657/आ0प्र0, दिनांक 30.07.2016, आदेश ज्ञापांक-939/आ0प्र0, दिनांक 28.08.2016 एवं आदेश ज्ञापांक 989/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 तथा आदेश ज्ञापांक-1015/आ0प्र0, दिनांक 06.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1052/आ0प्र0, दिनांक 11.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1061/आ0प्र0, दिनांक 14.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1085/आ0प्र0, दिनांक 17.09.2016 आदेश ज्ञापांक-1092/आ0प्र0, दिनांक-19.09.16 एवं आदेश ज्ञापांक-1121/आ0प्र0, दिनांक 27.09.2016 द्वारा कुल-3190.00 लाख पटना जिले के बाढ़ प्रभावित अंचलों को उपावंटित किया जा चुका है।

उक्त मद में सुरक्षित आवंटन के रूप में अवशेष राशि 150.00 लाख में से अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-39

विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

क्र०	अंचलाधिकारी का नाम	2245-02-101-0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड-एन2245021010001 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा		
		पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल योग
01	02	03	04	05
1	अंचलाधिकारी, दानापुर	30000000.00	—	30000000.00
2	अंचलाधिकारी, मनेर	52250000.00	—	52250000.00
3	अंचलाधिकारी, पटना सदर	25000000.00	—	25000000.00
4	अंचलाधिकारी, पुनपुन	12750000.00	—	12750000.00
5	अंचलाधिकारी, फतुहॉ	25000000.00	—	25000000.00
6	अंचलाधिकारी, दनियावाँ	250000.00	—	250000.00
7	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर.	10700000.00	—	10700000.00
8	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	46000000.00	—	46000000.00
9	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	54000000.00	—	54000000.00
10	अंचलाधिकारी, वेलछी	300000.00	—	300000.00
11	अंचलाधिकारी, पंडारक	300000.00	—	300000.00
12	अंचलाधिकारी, घोषवरी	200000.00	—	200000.00
13	अंचलाधिकारी, मोकामा	20000000.00	—	20000000.00
14	अंचलाधिकारी, बाढ़	6000000.00	—	6000000.00
15	अंचलाधिकारी, सम्पतचक	7500000.00	—	7500000.00
16	अंचलाधिकारी, धनरूआ	20000000.00	—	20000000.00
17	अंचलाधिकारी, नौबतपुर	8750000.00	—	8750000.00
18	अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ	--	3000000.00	3000000.00
	उप आवंटित राशि	319000000.00	3000000.00	322000000.00
	जिला में सुरक्षित			12000000.00
	कुल योग			334000000.00

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612-2219116(का०)

फैक्स नं०-0612-2218900

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

- (1) इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0001- निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान विपत्र कोड- एन2245021010001 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (2) यह आवंटन बाढ़ के मद्देनजर बाढ़ प्रभावित अंचल को नियमानुसार नगद अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार चक्रवात के मद्देनजर भी किया जा सकता है। अनुरोध है कि राशि के 75 प्रतिशत व्योपरान्त ही अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जाय।
- (3) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य में मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (5) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- (6) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (7) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- (8) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561बी0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-02-101-0001-निःसहायों एवं विकलांगों के अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय। अनुलग्नक-मूल आवंटन पत्र की प्रति।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक.....1208...../आ0प्र0, दिनांक.....18/10/2016

प्रतिलिपि:- अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक-01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, पत्रांक-89(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 22.08.2016 एवं पत्रांक-103(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 तथा पत्रांक-42/आ0प्र0, दिनांक 10.09.2016 एवं पत्रांक-124 दिनांक-19.09.16 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।

he
17/11/16

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,
अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0 सं. संयुक्त सचिव।
सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
पटना/पश्चिम चम्पारण।

पटना-15, दिनांक- 19/9/16

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान, विपत्र कोड - N2245021010001 मद में ₹500.00 लाख, 0002- खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड-N2245021010002 मद में ₹500.00 लाख, लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण विपत्र कोड-N2245021120002 मद में ₹24.00 लाख कुल ₹ 1024.00 लाख (दस करोड़ चौबीस लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण मद में मूल बजट उपबंध तथा गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान मद में वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापक - ब-16/ बी0सी0एफ0-55/2016/35 सी0एफ0 दिनांक -05.08.16 एवं ज्ञापक ब-16/ बी0सी0एफ0-55/2016/45 सी0एफ0 दिनांक 31.08.16 तथा क्रमशः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -2962/आ0प्र0 दिनांक -05.08.16 एवं 3923/आ0प्र0 दिनांक 01.09.16 उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति मद में वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापक - ब-16/ बी0सी0एफ0-55/2016/36 सी0एफ0 दिनांक -05.08.16 एवं ज्ञापक ब-16/ बी0सी0एफ0-55/2016/44 सी0एफ0 दिनांक 31.08.16 तथा क्रमशः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2963/आ0प्र0 दिनांक -05.08.16 एवं 3990/आ0प्र0 दिनांक 01.09.16 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि में स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपशीर्षवार/विषयशीर्षवार निम्न प्रकार है :

मांग संख्या- 39

(राशि रुपये लाख में)

जिला का नाम	2245-02-101-0001- निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान N2245021010001 विषय शीर्ष- 31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा			2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्ति N2245021010002 विषय शीर्ष- 31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा			2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण N2245021120002 विषय शीर्ष- 31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा			आवंटन का कुल योग		
	अध्यायित राशि	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	अध्यायित राशि	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	अध्यायित राशि	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	अध्यायित राशि	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
पश्चिम चम्पारण	0.000	40.000	0.000	0.000	72.840	0.000	64.000	40.000	24.000	64.000	152.840	24.000
कुल योग	3640.000	2880.000	500.000	3695.580	2968.420	500.000	64.000	200.000	24.000	7399.580	6048.420	1024.000

4. यह आवंटन बाढ़ के मद्देनजर जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1068 दिनांक-15.09.16/1069 दिनांक 15.09.16/पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 156 दिनांक 16.09.16 द्वारा की गई अध्यायचना तथा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि राशि के 75 प्रतिशत व्ययोंपरान्त ही अतिरिक्त राशि की अध्यायचना की जाए।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1432/आ0प्र0 दिनांक 04.04.16 एवं 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पायें, तो 15.03.2017 तक उसे

जिला पदाधिकारी का कार्यालय, पटना
(पश्चिम चम्पारण)
पृथक्करण सं. 5308/1
दिनांक 22/9/16

0

2245-02 - बाढ़ चक्रवात आदि-बाढ़ साहाय्य
कोषागार में जमा करा दिया जाय।

पत्रांक- 124 दिनांक- 19/9/16

203

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-02-101-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान एवं 2245-02-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति के अन्तर्गत व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से " 8000-आकस्मिकता निधि " अंकित कराया जाय।
11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्ट उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फॉर्म से विभाग को सूचित किया जाय।
13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।
14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश में
19/9/16
(अनिरुद्ध कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 124 (67932) /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 19/9/16

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिव/व्यय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 124 (67932) /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 19/9/16

प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 124 (67932) /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 19/9/16

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 124 (67932) /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 19/9/16

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/16
संयुक्त सचिव

ज्ञापक- 124 (67932) /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 22/9/16

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट); सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट); कार्यवाह सहायक/ आईटी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपतकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/16
संयुक्त सचिव